FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम (SDO) सायतु

मोटाराम चौरा बनाम आणदाराम चौरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111, 128 RLR नं. 304/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/10/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री हुकम सिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 10/11/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) सायतु जिला – बाड़मेर	
10/11/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 22/02/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
22/02/2021	पत्रावली पेश हुइ वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 22/06/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
22/06/2021	पत्रावली पेश हुइ वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 14/09/2021 को पेश हो / (हस्ताक्षर)	
14/09/2021	प[illegible] वकुलाय पक्षकार[illegible] [illegible] अधि कारी दि[illegible] [illegible] मिसल इल्तवा [illegible] 16/11/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

10/11/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त / श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवो के संग अभियान -2021 कैम्पो मे व्यस्त होने से मिसल ईलतवा होकर आगामी दिनांक 22/03/2022 को पेश हो।

22/03/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण के नोटिस पूर्व मे जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुन: प्राप्त नही हुई है / इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक - 23/05/2022 को पेश हो।

23/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणो के नोटिस पूर्व मे जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको 1 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है जिनकी ओर से कोई उपस्थित नही हुआ / आमलन्द समय तीन बार आवाज लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अभिभाषक उपस्थित नही हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणो के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। अत: वास्ते बहस पत्रावली दिनांक को 27/06/2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी / कलक्टर (SDO),
बायतु
जिला – बाड़मेर

अज अदालत उपखण्ड ...
हुक्म ...
तारीख हुक्म
27/06/2022

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27/06/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं बिप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्कीं नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1212 दिनांक : 27/06/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मोटाराम पुत्र चुतराराम वगैरा 05, जाति जाट, निवासी चुतराणियों की ढाणी, पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. अणदाराम पुत्र मंशाराम वगैरा 29, जाति जाट, निवासी चुतराणियों की ढाणी, पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला, तहसील बाड़मेर (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 304 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – चुतराणियों की ढाणी, पटवार मण्डल – माडपुरा बरवाला, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 518 रकबा 86 बीघा 05 बिस्वा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला-बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1213 -1217 दिनांक : 27/06/2022

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का माडपुरा बरवाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मोटाराम पुत्र चुतराराम वगैरा 05,
4. विप्रार्थी श्री अणदाराम पुत्र मंशाराम वगैरा 29,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर